255

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर, 2012

क्रमांक सी 3–11/2012/3/एक

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण।

संदर्भः– सामान्य प्रशासन विभाग का समसंख्यक परिपत्र क्रमांक सी–3–11/2012/1/3, दिनांक 3 नवम्बर, 2012.

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 3 नवम्बर, 2012 द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि करने के निर्देश जारी किये गये हैं। इस परिपत्र के पैरा–4 में दर्शायी गई तालिका के कमांक–2 मे पुरूष आवेदक (शासकीय सेवक/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) के सामने अधिकतम आयु सीमा **40 वर्ष** के स्थान पर **''45 वर्ष''** पढ़ा जावे।

2/ शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि उक्त आयु सीमा में वृद्धि के निर्देश प्रसारित होने के उपरांत भी विभिन्न विभागों द्वारा भेजे जाने वाले मांग–पत्र में भरती नियम में प्रावधानित आयु सीमा का उल्लेख किया जा रहा है। अतः सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि अपने विभागीय भरती नियम में तदनुसार संशोधन करने की कार्यवाही करें। जब तक भरती नियम में संशोधन नहीं हो जाता है तब तक सीधी भरती हेतु आयु सीमा परिपत्र दिनांक 3 नवम्बर, 2012 के अनुसार संशोधित मानी जाए।

3/ उल्लेखनीय है कि उक्त परिपत्र द्वारा अधिकतम आयु सीमा में की गई वृद्धि गृह (पुलिस), वन, आबकारी एवं जेल विभाग के कार्यपालिक पदों पर लागू नहीं है।

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां क्रमांक सी 3-11/12/1/3, भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर, 2012

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग